राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ

एकलपीठ आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 1502/2022

हेतराम पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 34 वर्ष, बी/सी जाट, निवासी खोजावास, तहसील नवलगढ़, जिला। - झुंझुनू (राजस्थान) पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जय सिंह राठौड़ पुत्र दिलीप सिंह राठौड़, घर राजपूत, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी सामी, वाया खुड्ड, तहसील दातारामगढ़, जिला- सीकर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान सरकार

----प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से : श्री राहुल शर्मा

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री अनीस भूरट, लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

01/09/2022

1. दंड प्रक्रिया संहिता (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत दायर त्वरित याचिका, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 1, परबतसर, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2021 को चुनौती देती है। इसके बाद इसे "पुनरीक्षण न्यायालय" के रूप में जाना जाएगा), जिससे विद्वान सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामन सिटी (इसके बाद "ट्रायल कोर्ट" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित दिनांक 27.11.2020 के आदेश की एक मामूली संशोधन के साथ संक्षेप में पुष्टि की गई है।

2. अनावश्यक विवरणों को छोड़कर, वर्तमान उद्देश्यों के लिए तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता का वाहन - बस जिसका पंजीकरण संख्या आरजे-18-पीए-7417 है, जब्त कर लिया गया, क्योंकि यह 28.10.2020 को हुई एक दुर्घटना में शामिल था और उसका नेतृत्व किया गया था। एक कानाराम की असामयिक मृत्यु और वाहन चालक के विरूद्ध चितावा, जिला नागौर परिणामी एफआईआर (संख्या 193/2020, दिनांक 28.10.2020)

पी.एस. में दर्ज की जा रही है।

3. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन बस की रिहाई के लिए संहिता की धारा 451 के तहत एक आवेदन दायर किया था, जिसे विद्वान निचली अदालत ने सुपुर्दगीनामा पर वाहन को रिलीज करने के संबंध में सामान्य शर्तों के अलावा 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त के साथ अनुमति दी थी।

4. याचिकाकर्ता ने संहिता की धारा 397 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे हालांकि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने दिनांक 31.03.2021 के आदेश के तहत अपास्त कर दिया था, हालांकि, एक सीमित छूट के साथ कि बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की आवश्यकता 10 लाख रुपये से से 8 लाख रु. कम कर दी गई थी।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि बैंक गारंटी की शर्त लगाना अनुचित है और याचिकाकर्ता के व्यापार करने के अधिकार का उल्लंघन है।

6. कल्पेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार (एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या 664/2022) में इस न्यायालय के दिनांक 06.04.2022 के निर्णय पर भरोसा करते हुए। उन्होंने दलील दी कि ऐसी शर्त किसी भी कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

7. उन्होंने तर्क दिया कि पुनरीक्षण न्यायालय ने मूल मुद्दे को परखे बिना और इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि न तो पंचाट की राशि और न ही दावेदार द्वारा दावा की गई राशि न्यायालय के समक्ष थी, बैंक गारंटी की राशि कम कर दी है।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

9. निचली अदालत ने निष्कर्ष दर्ज किया है कि वाहन का बीमा 29.10.2020 को कराया गया था, जबकि दुर्घटना 28.10.2020 को हुई थी, जिससे पता चलता है कि दुर्घटना की तारीख पर, संबंधित वाहन का बीमा नहीं किया गया था।

10. यह ध्यान रखना उचित है कि याचिकाकर्ता ने इस तरह के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है; उन्होंने रिकॉर्ड में एक कवर नोट (अनुलग्नक-3) की एक प्रति रखी है जो निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुरूप है कि दुर्घटना के दिन वाहन का बीमा नहीं किया गया था।

11. ऐसी स्थिति होने पर, दावे से उत्पन्न होने वाली देनदारी, यदि कोई हो, को वाहन के चालक और मालिक को वहन करना होगा। **जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी**

लिमिटेड और अन्य (2010) 2 एससीसी 607 में प्रकाशित के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इस तरह के दायित्व का भार संबंधित वाहन (बस) पर होगा। प्रासंगिक भाग यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"28. जहां किसी वाहन के लिए कोई बीमा कवर नहीं है, वहां मालिक को सुरक्षा प्रदान करने या राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, जो अंततः पारित होने वाले पंचाट को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, जो कि इसमें शामिल जब्त किए गए वाहन की रिहाई के लिए एक शर्त है। यदि ऐसी सुरक्षा या नकदी जमा नहीं की जाती है, तो तीन माह की अवधि के भीतर, वाहन के निपटान के लिए उचित कदम उठाए जा सकते हैं और दावा मामले का निपटारा होने तक बिक्री आय को जमा में रखा जा सकता है। उपयुक्त सरकारें इस संबंध में दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियम, 2008 के नियम 6 की तर्ज पर एक नियम" पर विचार कर सकती हैं।

12. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जय प्रकाश (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र/राज्य सरकार को लागू कानूनों में उचित संशोधन करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 को 2019 में संशोधित किया गया है और नियम 10.2 ए के अनुसार, न्यायालय को यह आदेश दिया गया है कि वह वाहन दुर्घटना से होने वाली मृत्यु, चोट या संपत्ति की क्षति के लिए वाहन को केवल दावेदारों के दावे के संबंध में संतोषजनक सुरक्षा प्रस्तुत करने पर ही जारी करेगा।

13. संशोधित प्रावधान नियम 10.2 ए को पुनः प्रस्तुत करना अप्रासंगिक नहीं होगा, जो इस प्रकार है:-

"10.2 क. दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन को छोड़ने पर प्रतिबंध.- (1) कोई भी अदालत किसी दुर्घटना में शामिल मोटर वाहन को रिहा नहीं करेगी, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान हुआ हो, जब ऐसा वाहन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता हो। पंजीकृत मालिक के नाम पर लिया गया तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा या जब पंजीकृत मालिक जांच पुलिस अधिकारी की मांग के बावजूद ऐसी बीमा पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जब तक कि पंजीकृत मालिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए

अदालत की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत नहीं करता है जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न दावे के मामले में दिया जा सकता है।

(2) जहां मोटर वाहन तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा की पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया गया है, या जब मोटर वाहन का पंजीकृत मालिक उप-नियम (1) में उल्लिखित परिस्थिति में ऐसी पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो मोटर वाहन जांच पुलिस अधिकारी द्वारा वाहन को कब्जे में लेने के तीन माह की समाप्ति पर, उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक नीलामी में बेचा जाएगा, और इसकी आय उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले दावा न्यायाधिकरण के पास जमा की जाएगी। विचाराधीन क्षेत्र में, ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में दिए गए मुआवजे को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पंद्रह दिनों के भीतर दिया जा सकता है।"

14. राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 10.2ए के रूप में लाए गए संशोधन के समक्ष, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि दावेदारों को अकेला नहीं छोड़ा जाए। यदि वाहन को केवल सॉल्वेंट ज़मानत प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगीनाये पर रिहा कर दिया जाता है, तो पंचाट पारित होने की स्थिति में, दावेदारों को दावा राशि की वसूली के लिए दर-दर भटकना होगा।

15. निचली अदालत का यह निष्कर्ष निकालना विधिक रूप से उचित नहीं था कि 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी पर्याप्त होगी। स्पष्ट राशि के दावे या दावे के निर्धारण के लिए अपेक्षित विवरण के अभाव में, निचली अदालत का 10 लाख रुपये के आंकड़े पर पहुंचना उचित नहीं था।

16. दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों, जिनके पास बीमा कवरेज नहीं है, की रिहाई के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय न्यायालय को या तो दी गई राशि पर विचार करना होगा या उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दावेदार द्वारा दायर दावा याचिका पर विचार करना होगा। बस यह पता लगाएं कि मालिक को किस लिए सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह के विवरण के अभाव में, न्यायालय को हमेशा निर्देश देना चाहिए कि वाहन के मूल्य के बराबर एफडीआर या बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए।

17. कवर नोट दिनांक 29.10.2020 (अनुलग्नक-3) के अवलोकन से पता चलता है कि वाहन (बस) का अनुमानित मूल्य 15 लाख रुपये है।

18. इसलिए, निचली अदालत को याचिकाकर्ता से 15 लाख रुपये की सुरक्षा जमा करने के लिए कहना चाहिए था।

19. मौजूदा मामले में, निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसे रिविजनल कोर्ट ने 8 लाख रुपये में संशोधित कर दिया है और इसमें कोई क्रॉस अपील/संशोधन नहीं है। इसलिए, यह न्यायालय बैंक गारंटी की मात्रा में बदलाव करने के लिए इच्छुक नहीं है।

20. याचिका उपरोक्त टिप्पणियों के साथ अपास्त की जाती है।

21. यदि याचिकाकर्ता 15.09.2022 तक अपेक्षित बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करता है, तो संबंधित मजिस्ट्रेट बस की नीलामी करेगा और इसकी आय मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को भेज दी जाएगी, जहां दावेदारों (मृतक कानाराम के विधिक उत्तराधिकारी) ने अपने दावे दायर किए हैं। जैसाकि नियम 10.2 ए के उप-नियम (2) के परंतुक द्वारा अनिवार्य है।

22. स्थगन याचिका भी अपास्त की जाती है।

(दिनेश मेहता), न्यायमूर्ति

6-Ramesh/-

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।